



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल चिकित्सालय परिसर स्थित वाहन/साइकिल स्टैण्ड के 11 महीनों के चलाने हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्र सम्पदा कार्यालय में दिनांक 20.06.2013 से 05.07.2013 तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में ₹ 300/- के नकद भुगतान पर (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्राप्त किया जा सकता है।
3. पूर्णरूप से भरी हुई निविदा प्रपत्र केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, के सम्पदा कार्यालय, वाराणसी में दिनांक 05.07.2013 तक सांय 4:00 बजे तक जमा की जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ ₹ 25,000/- का (₹ 0 पचीस हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। चेक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त धरोहर राशि को सफल व्यक्ति/संस्था के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
5. अधिकतम निविदा राशि अंकित करने वाले व्यक्ति/संस्था की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड चलाने हेतु प्रतिमाह की लाईसेन्स फीस मानी जायेगी।
6. सफल व्यक्ति/संस्था का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की कुल धनराशि के साथ ही सर्विस टैक्स निविदा खुलने के 7 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ वाहन/साइकिल स्टैण्ड चलाने हेतु ₹ 15,00,000/- (₹ 0 पन्द्रह लाख मात्र) बैंक गारंटी जमा नहीं किया तो उपरोक्त अर्नेस्ट मनी को जब्त कर लिया जायगा। निविदा में लगायी गयी कुल धनराशि तथा ₹ 15,00,000/- (₹ 0 पन्द्रह लाख मात्र) बैंक गारंटी को जमा करने पर ही सफल व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड चलाने के इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी ₹ 25,000/- की धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, साथ ही साथ अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।
7. निविदा राशि पर देय सर्विस टैक्स @ ₹ 0 12.36% प्रति माह की दर अथवा समय – समय पर सरकार द्वारा परिवर्तित दर जिसे प्रत्येक माह की देय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. धरोहर राशि ₹ 15,00,000/- (₹ 0 पन्द्रह लाख मात्र) राशि की बैंक गारंटी देना अनिवार्य होगा।
9. सर्विस टैक्स के अतिरिक्त भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित अन्य टैक्स/शुल्क भी निविदाकर्ता द्वारा देय होगा।
10. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाद्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दो एवं अंको दोनों में होनी चाहिए। निविदा राशि में की गयी किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि शब्दो एवं अंको में दर्शायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनों में से जो अधिक राशि होगी वही मान्य होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
11. दो या अधिक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर, वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन हेतु व्यक्ति/संस्था के चयन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
13. इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व वाहन/साइकिल स्टैण्ड का अवलोकन करने के पश्चात इस सुविधा के लाभार्थियों तथा स्टैण्ड हेतु उपलब्ध एरिया का आकलन करके निविदा राशि अंकित करें, क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. उक्त वाहन/साईंकिल स्टैण्ड के आवंटी द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों/आध्यापकों एवं कर्मचारियों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा।
15. वाहन/साईंकिल स्टैण्ड में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा साईंकिल स्टैण्ड के लाभार्थियों एवं विश्वविद्यालय के छात्रों/कर्मचारियों एवं अध्यापकों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी।
16. वाहन/साईंकिल स्टैण्ड के संचालक को पार्किंग हेतु आये वाहन/साईंकिल निर्धारित क्षेत्र में ही रखना होगा।
17. चयनित व्यक्ति/संस्था किसी भी रूप में वाहन/साईंकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु बाल श्रमिक को नहीं रखेंगे/ रखेगी।
18. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियुक्त वाहन/साईंकिल स्टैण्ड में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।
19. विश्वविद्यालय सेवा से कार्यरत कोई भी कर्मचारी उपरोक्त निविदा को नहीं भर सकता।
20. मरीजों को छोड़ने एवं ले जाने हेतु चार पहिया वाहनों से 20 मिनट तक कोई वाहन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
21. चार पहिया वाहनों के पार्किंग हेतु दिया जाने वाला टिकट स्व: मुद्रित मशीन टिकट (**Self Printing Ticket Machine**) द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।
22. विश्वविद्यालय बिना कारण बताये आमन्त्रित निविदा को रद्द करने का अधिकार रखता है।
23. प्रथमतः वाहन/साईंकिल स्टैण्ड का आवंटन अस्थायी रूप से किया जायगा, तत्पश्चात निविदाकर्ता की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अनुकुल होने पर ही उक्त स्टैण्ड 11 माह की अवधि के संचालन के लिये आवंटन हेतु अनुबन्ध किया जायेगा। अन्यथा यह अस्थायी आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
24. वाहन/साईंकिल स्टैण्ड में लिए जाने वाला शुल्क निम्न दर से होगा :

बस	रु0 50/- प्रति वाहन
चार पहिया वाहन	रु0 20/- प्रति वाहन
स्कूटर/मोटरसाइकिल	रु0 5/- प्रति वाहन
आटो रिक्सा	रु0 10/- प्रति वाहन
साईंकिल	रु0 2/- प्रति वाहन

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय